



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102025-266947
CG-DL-E-15102025-266947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4549]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 2025/आश्विन 23, 1947

No. 4549]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2025/ASVINA 23, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4678(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके बाद "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा 'चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, (पैन: AAALM0037B) (जिसे इसके बाद "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जो 'चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड' 1978 (तमिलनाडु अधिनियम 28, 1978) के तहत गठित एक बोर्ड है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-2025 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ 'चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम, 1978 (तमिलनाडु अधिनियम 28, 1978) के तहत गठित बोर्ड बना रहे।

[अधिसूचना सं. 151 /2025/फा. सं. 300195/65/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।